

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 188/2023

निर्णय दिनांक :- 31/8/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. कमला पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. केसर पत्नी लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. बदाम पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. भरोसी पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. महावीर पुत्र लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. संतोष पुत्री लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
7. हरिराम पुत्र लादू जाति खटीक निवासी गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

तहसीलदार नगरफोर्ट

उपस्थिति :- श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम रघुराजपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थीगण की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीगण



को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काश्त करने में बेजा मजामत करते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई। तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थीगण की शामलात की खातेदारी में दर्ज है कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं है इसलिए पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओ पर खसरा नम्बर 175 व 179 चारागाह भूमि है जिस पर आवेदक का अतिक्रमण नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।


पत्रावली बहस में नियत की गई । अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में अंकित खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम रघुराजपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा



उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

0
1
4
5
6